सिफारिशें

1. प्रोत्साहन योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन, निगरानी तथा परिणाम हेतु आरएज, सीमाशुल्क, बन्दरगाहों के आन्तरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 2.1 से 2.3)

2. डीजीएफटी नीति प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु सीमाशुल्क विभाग से ऑनलाइन विनिमय डाटा के साथ अपनी इडीआई प्रणाली की समीक्षा कर सकता है तथा इडीआई माड्यूल पर अपनी डाटा आवश्यकताओं को संशोधित कर सकता है।

(पैराग्राफ 2.5)

3. डीजीएफटी को सीमा शुल्क एवं आरबीआई के साथ सीमा शुल्क/आरबीआई द्वारा सभी ईनामी एवं प्रोत्साहन योजनाओं हेतु जारी चेतावनियों पर समाधान एवं तत्काल कार्रवाई करके समन्वय में सुधार करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 2.6)

4. नीति कार्यान्वयन मुद्दों के मामले में तथा परिचालनात्मक दोष के मामलों में लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि एफटी (डी एवं आर), अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्यवाई की जानी चाहिए।

(पैराग्राफ 3.1 से 4.21)

5. लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि जब योजनाओं के प्रभाव अथवा परिणाम अध्ययन किये जॉए, तब संपूर्ण चित्रण हेतु डीओसी/डीओआर द्वारा निर्यातकों/आयातकों तथा विनिर्माताओं को योजना आधारित पारितोषिक तथा प्रोत्साहनों तथा पीटीए आधारित प्रोत्साहनों के अभिन्न घटकों को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे विवरण संघ सरकार की प्राप्ति बजट में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) के प्रकटन के भाग के रूप में अच्छी तरह से उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।

(पैराग्राफ 5)